न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 8/2023 बउनवानी रामराज मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी
निवासी टी–3/55, अनु प्रताप कॉलोनी रावतभाटा, 323305

GCMS No-2023/6

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
22.2.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 15.11.2022 लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया जो अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार गंगापुर सिटी को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. Crtified copy of the documents regarding the allotment of land for agricrulture purposes by the DC in village Hirapur, Tehsil Gangapur 2. The rules and Procedures followed for the allotment of land for agriculture purposes by yjr DC in village Hirapur , Tehsil Gangapur 3. The process followed for the allotment of the land 4. The Khasra number of the allotted land and a list of the persons , to whom land was allotted . प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही, दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा जरिये पत्रांक /सूकाअ/2023/(71)/238 दिनांक 24.1.2023 से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र तहसीलदार तलावडा को भिजवाते हुए अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाने बाबत लिखा जाने पर तहसीलदार तलावडा द्वारा जरिये पत्रांक भू.अभि./2023/82 दिनांक 9.2.2023 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना तहसील तलावडा के कार्यालय मे उपलब्ध नही है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 15.11.2022 मे चाही गयी सूचना तहसील कार्यालय तलावडा मे उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। इसके संबंध मे तहसीलदार तलावडा के पत्रांक /भू.अभि./2023/82 दिनांक 9.2.2023 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.12.19 11:31:44 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर